

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/552

दिनांक 28/04/25

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
कानाराम वगैरा	बनाम	विरधाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 103/2024

दिनांक : 28.04.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र ईशरोल के मौजा सेवाणियो का तला के खेत खसरा सं. 567/480 रकबा क्रमशः 21.8530 हैक्टर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।


आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/553 to 552


प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी कानाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण विरधाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा


उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय
चौहटन

दिनांक 28/04/25




(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय
चौहटन